न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –154 / 2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2020 / 00196

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
मुन्नीदेवी पत्नी श्री प्रेमसुख माली निवासी खेडो का मौहल्ला, नागौर		सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भगवतराम खुड़ीवाल।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 8.2.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 30 / 2016(247 / 94) सरकार बनाम मुन्नीदेवी अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.11.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ महिला है, जिसे आदेश जैर अपील के पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। आदेश जैर अपील की जानकारी हाल ही में होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया एवं नकल मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश की गई है। विलम्ब का कारण समुचित व पर्याप्त है। अनावश्यक अथवा जानबूझ कर विलम्ब नहीं किया गया है। विलम्ब युक्तियुक्त कारण से होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने बहस में अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया। अपीलान् अनपढ़ महिला है एवं उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी हाल ही में होने बाबत स्वंय का तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या–247 / 94 दर्ज कर तहसीलदार नागौर ने मौजा नागौर के खसरा नम्बर 379 पर अतिक्रमण मानकर दिनांक 25.08.1994 को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित कर दिया। जिस आदेश के खिलाफ अपीलान्ट ने प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में पेश की जो अपील संख्या–142 / 94 है। उक्त अपील में बाद सुनवाई दिनांक 31.07.1998 को अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार नागौर को कुछ निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया, जिस पर तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 52 / 2002 दर्ज कर दिनांक 13.03.2003 को पुनः बेदखली व जुर्माना का आदेश अपीलान्ट के खिलाफ पारित कर दिया। [illegible] पश्चात अपीलान्ट ने पुनः एक आवेदन दिनांक 07.09.2015 को आदेश 39 नि.2 (क) सीपीसी की [illegible] जिला कलक्टर नागौर के यहां पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 18.12.2015 को होकर [illegible] तहसीलदार नागौर को प्रकरण का दो माह में निस्ताण हेतु निर्देश[illegible] तहसीलदार नागौर ने दिनांक 26.0?.2016 को प्रकरण संख्या 30 / 2016 दर्ज कर दिनांक 20.07.2016 पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13.03.2003 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:26:00 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर, नागौर

यथावत रखे हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिस आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध तरीके से तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के विपरित पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण निर्देशों के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उन निर्देशों को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट तलब की किन्तु हल्का पटवारी ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी जो रिपोर्ट विधि अनुसार माने जाने योग्य नहीं थी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने निर्णय दिनांक 31.07.1998 में रूपान्तरण संबंधी तथ्यों पर जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देश अधिनस्थ न्यायालय को दिये थे, उन निर्देशों पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये, अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने का कथन करते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट का कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379 किस्म गै.मु. अंगोर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–247/94 सरकार बनाम मुन्नीदेवी प्रकरण में दिनांक 25.08.94 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना का आदेश पारित किया।

अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 25.08.94 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलक्टर नागौर में अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपील संख्या–142/94 मुन्नीदेवी बनाम सरकार में अपर कलक्टर महोदय नागौर द्वारा दिनांक 31.07.98 को निर्णय पारित कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को रिमाण्ड कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने तथा अपीलान्ट द्वारा रूपान्तरण के संबंध में दिये गये तथ्य पर भी विचार कर नियमानुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31.07.98 की पालना में प्रकरण संख्या 52/02 (247/94) सरकार बनाम मुन्नीदेवी दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलान्ट के पति द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया। अप्रार्थी के अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का नागौर से जॉच करवाई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक–4.3.03 के अनुसार मौजा नागौर के खसरा नम्बर 379 की भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। आराजी भूमि जिला कलक्टर नागौर के आदेश कमांक–राजस्व/02/1671 दिनांक 14.05.02 द्वारा महिला महाविद्यालय नागौर को आवंटित कर कब्जा भी आवंटित संस्था को सौंप दिये जाने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में कोई ओर कार्यवाही की जाना उचित नहीं मानकर प्रकरण दिनांक 13.03.2003 को फैसल कर दिया।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर नागौर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सीपीसी के तहत दिनांक 07.09.2015 को प्रस्तुत कर न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 142/94 मुनीदेवी बनाम तहसीलदार नागौर प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.07.1998 की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पालना नहीं कर अवहेलना करने बाबत निवेदन किया। जिस पर न्यायालय अपर कलक्टर [illegible] राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–33/2015 मुन्नीदेवी बनाम तहसीलदार नागौर [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उक्त मूल पत्रावली 247/94 सरकार बनाम मुन्नीदेवी स्टॉफ की टीम गठित कर तलाशी करने तथा पत्रावली नहीं मिलने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने एंव साथ ही उक्त पत्रावली से सबंधित सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर नयी पत्रावली नियमानुसार कायम कर अपर कलक्टर नागौर न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

31.07.1998 के द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रकरण का दो माह में निस्तारण करने का आदेश दिनांक 18.12.2015 को पारित किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने उक्त आदेश 18.12.2015 की पालना में प्रकरण संख्या–30/2016(247/94) सरकार बनाम मुन्नीदेवी दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट के पति द्वारा जबाब पेश किया। हल्का पटवारी से चाही, जिस पर पटवारी नागौर द्वारा दिनांक 18.07.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379 किस्म गैर मुमकिन अंगोर पर वर्तमान में मुन्नीदेवी द्वारा पत्थर डालकर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं उक्त भूमि माडी देवी कॉलेज में स्थित होना बताया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.07.2016 से पत्रावली में ओर कोई कार्यवाही की जाना उचित नहीं मानते हुए पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 247/94 रिमाण्ड से दर्ज प्रकरण संख्या–52/2002 सरकार बनाम मुन्नीदेवी निर्णय दिनांक 13.03.2003 को यथावत रखते हुए अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहने से धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही बंद की गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही को लेकर है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही ही बंद की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट की अपील सारहीन हो जाने से खारिज किये योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में जहां तक भूमि रूपान्तरण को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि भूमि का नियमन एवं रूपान्तरण पृथक नियमों आदि के तहत एक पृथक कार्यवाही है। इसलिए धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के प्रकरण में भूमि के नियमन एवं रूपान्तरण आदि के संबंध में विचार किया जाना विधि सम्मत नहीं होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन उचित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पूर्व दिनांक 25.08.94 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली का आदेश दिया गया।

उक्त निर्णय को अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर नागौर में चुनौती दी जाने पर अपर कलक्टर नागौर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में दिनांक 31.07.98 निर्णय पारित कर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 52/02 (247/94) दर्ज कर बाद मौजा नागौर के खसरा नम्बर 379 की भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं होने एवं आराजी भूमि जिला कलक्टर नागौर के आदेश कमांक–राजस्व/02/1671 दिनांक 14.05.02 द्वारा महिला महाविद्यालय नागौर को आवंटित कर कब्जा भी आवंटित संस्था को सौंप दिये जाने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में कोई ओर कार्यवाही की जाना उचित नहीं मानकर प्रकरण दिनांक 13.03.2003 को फैसल कर दिया।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर नागौर में उनके द्वारा प्रकरण संख्या 142/94 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.1998 की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पालना नहीं कर अवहेलना करने बाबत प्रस्तुत करने पर न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–33/2015 दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उसकी मूल पत्रावली 247/94 सरकार बनाम मुन्नीदेवी स्टॉफ की टीम गठित कर तलाशी करने तथा पत्रावली न मिलने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करने एवं साथ ही उक्त पत्रावली से संबंधित सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर नयी पत्रावली नियमानुसार कायम कर अपर कलक्टर नागौर न्यायालय द्वारा मूल पारित निर्णय दिनांक 31.07.1998 के द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रकरण को दो माह में निस्तारण करने का आदेश दिनांक 18.12.2015 को पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने उक्त आदेश 18.12.2015 की पालना में प्रकरण संख्या–30/2016(247/94) दर्ज कर एवं बाद सुनवाई पटवारी नागौर द्वारा दिनांक 18.07.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 379 किस्म गैर मुमकिन अंगोर पर वर्तमान में मुन्नीदेवी द्वारा पत्थर डालकर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं उक्त भूमि माडी देवी कॉलेज में स्थित होना बताया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.07.2016 से पत्रावली में ओर कोई कार्यवाही की जाना उचित नहीं मानते हुए पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 247/94 रिमाण्ड से दर्ज प्रकरण संख्या–52/2002 सरकार बनाम मुन्नीदेवी निर्णय दिनांक 13.03.2003 को यथावत रखते हुए अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहने से धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही बंद की गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही को लेकर है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही ही बंद की जा चुकी है। इसलिए अब अपीलान्ट की अपील ठोस आधारों पर नहीं होकर सारहीन है।

हस्तगत प्रकरण में जहां तक भूमि रूपान्तरण को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि भूमि का नियमन एवं रूपान्तरण पृथक नियमों आदि के तहत एक पृथक कार्यवाही है। इसलिए धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के प्रकरण में भूमि के नियमन एवं रूपान्तरण आदि के संबंध में विचार किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उपर्युक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस विस्तृत कथन किये गये है, जो उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:00 IST
Reason: SelfAttested